Members of present Council of Ministers who were wealth-tax payers on 31st March, 1977

872. SHRI HITENDRA DESAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the names of the Members of the present Council of Ministers who were wealth-tax payers on the 31st March, 1977; and

(b) the year up to which assessment in respect of each of the aforesaid tax payers had been made up to the 31st March, 1977 and the total wealth of each of them assessed?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M PATEL): (a) and (b). There are 44 members of the Council of Ministers. The information as to where they are assessed is not readily available The information is being collected from the field offices A statement giving

(i) the names of the Members of the Council of Ministers who were wealth-tax payers on the 31st March, 1977;

(ii) the latest assessment year upto which wealth-tax assessments have been completed in respect of each; and

(iii) the total assessed wealth as per the latest assessment will be laid down on the Table of the House

राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऋण देने सम्बन्धी प्रक्रिया

873. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री सुभाष आहूजा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बैंकों को निदेश दिये गये हैं कि वे ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनायें; और

(ख) यदि हां तो किन वर्गों के ऋण देने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने के निदेश जारी किये गये हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ऋण देने की प्रक्रिया की निरन्तर समीक्षा की जाती है और समय समय पर उसमें संशोधन किये जाते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, जिसमें कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, परिवहन संचालक, व्यावसायिक और स्वयं नियोजित व्यक्ति, खुदारा व्यापार, छोटे व्यवसाय और शिक्षा शामिल है, के छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने निम्नलिखित उपाय किये हैं:—

(1) आवेदन पत्रों का सरलीकरण तथा उन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना;

(2) आवेदन पत्र को भरने में बैंक कर्मचारियों द्वारा ऋणकर्ता की सहायता;

(3) ऋण आवेदन पत्रों के त्वरित मूल्यांकन के लिए आवश्यक तकनीकी और अन्य विशेष ज्ञान वाले बैंक कर्मचारियों की उचित स्तर पर वृद्धि;

(4) बैंक ऋणों के अलावा छोटे उद्यमकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए अथवा वित्तीय और प्रबन्ध सहायता सहित पैकेज सेवाओं की व्यवस्था के लिए चुनी हुई शाखाओं में परामर्श सेवाओं की व्यवस्था;

(5) ऋण मंजूर करने के लिए क्षेत्रीय शाखा अधिकारियों को अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन।